POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनांक 28.03.2024

1.थाना सेक्टर 113 नोएडा पुलिस द्वारा, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का स्वतः संज्ञान लेते हुए स्कूटी सवार 02 लडकियों तथा लापरवाही पूर्वक स्कूटी चलाने वाले चालक युवक को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 28.03.2024 को थाना सेक्टर 113 पुलिस द्वारा, अश्लील वीडियो बनाने व लापरवाही पूर्वक स्कूटी चलाने वाले अभियुक्त जमुना प्रसाद उर्फ पीयूष व अश्लील हरकत करने वाली युवतियों विनीता पुत्री लाल खां व प्रीति पुत्री मुन्ना लाला को वेदवन पार्क के पास से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटनाक्रम का संछिप्त विवरण-- दिनांक 26.03.2024 को सोशल मीडिया पर वायरल स्कूटी जिस पर एक लड़का व दो लड़कियां सवार हैं ,वेदवन पार्क के सामने लड़के द्वारा लापरवाही पूर्वक स्कूटी चलाना व लड़कियों द्वारा अश्लील हरकत करते हुये व सरेआम वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, वायरल वीडियो का थाना सेक्टर 113 पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए मु0अ0सं0 110/2024 धारा 279/290/294/336/337 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1- अभियुक्ता विनीता पुत्री लाल खां निवासी कुलेसरा कच्ची कालोनी थाना ईकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर
2- अभियुक्ता प्रीती पुत्री मुन्ना लाल निवासी धन चौरा रुद्रपुर उत्तराखण्ड हाल निवासी सैक्टर 137 आकाश का मकान नोएडा गौतमबुद्धनगर
3- अभियुक्त जमुना प्रसाद उर्फ पियूष पुत्र बिहारी निवासी टिकरिया थाना मरकुण्डी जिला चित्रकूट हाल पीतमपुरा 16 सब्जी मण्डी दिल्ली

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1- मु0अ0सं0- 110/2024 धारा 279/290/294/336/337 भादवि थाना सेक्टर- 113 नोएडा गौतमबुद्धनगर

2.थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा फेसबुक के माध्यम से धोखाधडी कर पैसे लेने वाले गिरोह का पर्दाफाश महिला सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से धोखाधडी से प्राप्त कुल 14,500 रूपये व घटना में प्रयुक्त 06 मोबाइल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 28.03.2024 को थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा, फेसबुक के माध्यम से धोखाधडी कर मृत्यु का भय दिखाकर पैसे लेने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुये महिला सहित 04 अभियुक्तो 1. अभिषेक शर्मा पुत्र कैलाश चन्द्र शर्मा 2.फिरोज पुत्र शरीफ खान 3.शशीपाल पुत्र गोपाल प्रसाद 4. अभियुक्ता शिवानी पुत्री सुशील को गोल चक्कर सैक्टर-62 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है, जिनके कब्जे से धोखाधडी से प्राप्त कुल 14,500 रूपये व घटना में प्रयुक्त कुल 06 मोबाइल फोन बरामद।

घटनाक्रम का संछिप्त विवरण-- वादी ने दिनांक 28.03.2024 को थाना सेक्टर 58 तहरीर दी कि उसकी फेसबुक पर नागर परी नाम की लडकी से दोस्ती हुयी, उक्त लडकी ने उसे दिनांक 14.03.2024 को मिलने के लिये सेक्टर 62 स्थित एक निजी अस्पताल के पास बुलाया, जब वह लडकी द्वारा बताये गये स्थान पर पंहुचा तो वहां पहले से ही एक लडकी व दो लडके मिले, उन्होने मुझ से धोखाधडी कर मेरा मोबाइल ले लिया तथा तीनो अभियुक्तों ने मुझे मारने का भय दिखाकर ग्राहक सेवा केंन्द्र के खाते में 17,120 रूपये ट्रांसफर कर लिये। सूचना पर थाना सेक्टर 58 मु0अ0सं0- 107/2024 धारा 420, 386 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1- अभिषेक शर्मा पुत्र कैलाश चन्द्र शर्मा निवासी सर्च के सामने वाली गली खोडा कालोनी थाना खोडा जिला गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम खैरपुर मन्दिर के पास थाना सलेमपुर जिला बुलन्दशहर
2- फिरोज पुत्र शरीफ खान निवासी खखाईखोर जिला गोरखपुर हाल पता आरसी- 1620 शीतल विहार खोडा कालोनी थाना खोडा जिला गाजियाबाद
3- शशीपाल पुत्र गोपाल प्रसाद निवासी 2/455 त्रिलोकपुरी दिल्ली मूल पता 1823/कल्याणपुरी दिल्ली
4- अभियुक्ता शिवानी पुत्री सुशील निवासी समरविला स्कूल के पीछे हुकुम सिंह सोसायटी ग्राम दल्लूपुरा थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1- मु0अ0सं0 107/2024 धारा 420, 386 भादवि थाना सेक्टर 58 नोएडा

बरामदगी का विवरण--

1- नकद कुल 14,500 रूपये
2- घटना में प्रयुक्त कुल 06 मोबाइल